बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय – होशंगाबाद मार्ग, भोपाल – 462026

क्र. D-98....../छा0क0/नि0छ0/2018 भोपाल दिनांक 12.9.18

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/08/2014 पद क्रमांक 24/7/24 में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर नियमो का निर्धारण किया गया था। निर्धन छात्रों के शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायता के लिए आयोजित बैठक दिनांक 07.08.2018 के कार्यवृत्त के अनुसार निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यार्थी निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने आवेदन पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक छात्र कल्याण विभाग में जमा कर सकते है। निर्धन विद्यार्थियों हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य नियम निम्नानुसार है:–

1. निर्धन छात्र/छात्राओ के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2018 है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।
2. निर्धन छात्र/छात्राओ को वित्तीय सहायता हेतु पात्रता राज्य शासन द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. कार्ड, तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र एवं परिवार के मुखिया द्वारा शपथ प्रमाण पत्र जिसमे उल्लेख करना होगा कि हमारे परिवार की वार्षिक आय रूपयें 75000/–(पचहत्तर हजार रू).से अधिक नही है तथा मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा अन्य कोई छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र अन्य किसी भी सरकारी संस्थान में प्रस्तुत नही किया गया है।
3. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में सामान्य पाठ्यकम में अध्ययनरत् एंव व्यावसयिक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओ को शिक्षण शुल्क में पूर्ण पाठ्मक्रम हेतु सहयोग राशि प्रदान की जावेगी।
4. विश्वविद्यालय व्यावसयिक शिक्षण विभाग में बी0यू0आई0टी0,फार्मेसी, प्रबंध एवं विधि विभाग के छात्रों को ही मान्य किया जावेगा।
5. निर्धन छात्र/छात्राओ को शिक्षण शुल्क में सहयोग राशि प्रदान करने हेतु समिति का गठन किया जाकर समिति के निर्णय अनुसार शिक्षण शुल्क राशि प्रदान की जावेगी। समिति द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को अनुशंसा के आधार पर ही शिक्षण शुल्क के सहयोग की राशि स्वीकृत की जावेगी।
6. निर्धन छात्रों को शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायत विश्वविद्यालय के बजट् मद कमांक 24 (5) से विकलनीय होगा।
7. शिक्षण शुल्क में सहयोग राशि केवल चार छात्र/छात्राओ को प्रतिवर्ष प्रदान की जा सकेगी जिनमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं सामान्य पाठ्यक्रम के दो – दो छात्र/छात्राओ को दिया जावेगा।
8. निर्धन विद्यार्थी आवेदन पत्र के साथ अपने माता–पिता एवं स्वयं का आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करेगे।
9. आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त प्रमाण–पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष से सत्यापित एवं अग्रेषित होना चाहिए।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

.............2

पृ.क्रमांक 2099 / छा0क0 / नि0छ0 / 2018 भोपाल दिनांक 12.9.18

1. समस्त विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा एवं विद्यार्थियों को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
3 वित्त नियंत्रक, एवं अंकेक्षण विभाग, बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4 प्रभारी,वेबसाइट सेल बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
5 नस्ती।

10.9.18

अधिष्ठाता,छात्र कल्याण
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निर्धन विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता

आवेदन—पत्र

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.08.2014 पद क्रमांक 14/07/31 के अनुसार आवेदन—पत्र

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का नाम..

विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित फोटो

प्रति,

अधिष्ठाता,
छात्र कल्याण
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

महोदय,

मैं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के .... विभाग का नियमित छात्र हूँ। मेरा प्रवेश राज्य शासन/विश्वविद्यालय के नियमानुसार हूआ है।

मेरी वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन से वित्तीय सहयोग हेतु निवेदन करता हूँ/ करता हूँ मेरा समस्त विवरण निम्नानुसार है।

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/ पति का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. जन्म तिथि : ....
   (प्रमाण हेतु अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)
5. पाठ्यक्रम का नाम : ....सामान्य/व्यावसायिक.....................
6. जाति (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूवित जन जाति/पिछड़ा वर्ग)
7. स्थाई पता : ....
   ....
   मोबाइल नम्बर..
8. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
   मोबाइल नम्बर..
9. वार्षिक आय : सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
10. वचन—पत्र किसी अन्य सरकारी संस्थान या वित्तीय सहायता नही प्राप्त किया है का शपथ—पत्र
11. वांछित वित्तीय सहायता रूपये में ....
12. प्रवेश की तिथि : ....(रसीद संलग्न करे)
13. अंतिम प्रमाण—पत्र (शिक्षण) संलग्न करें

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर विद्यार्थी के हस्ताक्षर

नोट— समस्त दस्तावेज विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करे।